

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) सूरजपुर जिला सूरजपुर(छ.ग.)

रा0प्र0क0 202504260300038/अ-62/2024-25

प्रारूप- 'ग'

(नियम 3(2) देखिये)

-: अनुज्ञा:-

प्रति

भूनेश्वरी आ0 स्व0 रघुनाथ जाति रजवार

ग्राम-झांसी प.ह.नं.-01 रा.नि.म.-बसदेई

तहसील व जिला सूरजपुर छ0ग0

विषय:-

वृक्ष कटाई हेतु अनुज्ञा ।

--0--

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 27.02.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 28.02.2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 24.03.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु युकेलिप्स प्रजाति के वृक्ष की संख्या 50 है।

अभिलेख व स्थल निरीक्षण के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूं कि ग्राम झांसी प0ह0नं0- 01 रा0नि0मं0 बसदेई तहसील व जिला सूरजपुर छ.ग. स्थित भूमि खसरा नंबर 737 रकबा 0.12 हे0 भूमि पर अवस्थित 50 नग युकेलिप्स प्रजाति के स्वरोपित वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः स्वरोपित वृक्षों की कटाई हेतु अनुज्ञा दी जाती है।

छ0ग0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1989(क. 9 सन् 1989) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छ0ग0 परिवहन(वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुज्ञा शुन्य होगी।

यह अनुज्ञा आवेदन दिनांक से 07 दिवस तक ही मान्य होगी।



पृष्ठ क्रमांक 640 अ.वि.अ./प्रवाचक/2025

प्रतिलिपि :-

- 1- कलेक्टर महोदय सूरजपुर की ओर आव यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।
- 2- वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- तहसीलदार सूरजपुर को सूचनार्थ ।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)  
सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर दिनांक 11/4/2025

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)  
सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

अधिसूचना